भारत INDIA FIVE RUPEES पाँच रुपये 5 रु. Rs.5

समक्ष सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रमांक ....निगरानी-0318/2019/सीहोर/भू.रा./2018-19

मनोज कुमार आ0 भागीरथ वर्मा आयु 33 वर्ष,
निवासी व कृषक ग्राम-नरसिंहखेड़ा तहसील इछावर
जिला सीहोर म0प्र0..निगरानीकर्ता।

विरूद्ध

01. अर्जुनसिंह आ0 कमोदसिंह आयु 28 वर्ष,
02. अर्चना बाई पत्नि अर्जुनसिंह आयु 25 वर्ष,
दोनों जाति खाती ग्राम-नरसिंहखेड़ा तहसील इछावर
जिला सीहोर म0प्र0 ....रेस्पाडेंट्स।

अभिभाषक श्री ... द्वारा आज दिनांक ...18.1.2019 को पेश।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2018 प्रकरण क्रमांक 241/अपील/2017-18 मनोज विरूद्ध अर्जुनसिंह व अन्य पारित द्वारा श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0

श्रीमानजी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर निम्नांकित तथ्यो एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

-::: प्रकरण के तथ्य :::-

1. यह कि अपीलकर्ता मनोज को अधीनस्थ नायब तहसीलदार महोदय इछावर के न्यायालय में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 4149/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 से भूमि खसरा नंबर 82 रकबा 2.740 हेक्टेयर आबादी में से 25×18 वर्गफिट का भू-खण्ड धारक होने का प्रमाण पत्र दिया गया है तदानुसार निगरानीकर्ता वैध पट्टाधारी है।

2. यह कि रेस्पाडेंट्स के परिवार में पिता कमोदसिंह को भूमि खसरा नंबर 82 रकवा 2.740 हेक्टेयर में से चार पट्टे क्रमशः प्रकरण क्रमांक 3208, 3202 ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-318/2019/सीहोर/RW

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-3-2019	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0गुरोदिया उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	